इलेक्शन टुडे

==

दिनांक - 15 अक्टूबर 2018 अंक – 09

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद मंदसौर जिले में 4 करोड़ रूपयें की स्मैक जप्त

सफेमा कोर्ट के निर्देश पर तस्करों की 12 करोड़ 40 लाख की अचल संपत्ति फ्रीज की गई

भोपाल : सोमवार, 15 अक्टूबर, 2018। निर्वाचन आयोग द्वारा समावेशी, सुगम, विश्वसनीय एवं नैतिक मतदान कराने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद प्रदेश में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के अंतर्गत चुनाव में अवैध रूप से पैसे का उपयोग कर मतदान को प्रभावित ना किया जा सके, इसके लिये अपराधिक गतिविधियों और अवैध पैसे की रोकथाम के लिये निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जाँच कार्यवाही संपादित हो रही है। मंदसौर जिलें में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत सजायाफ्ता अपराधियों और आरोपियों की चल-अचल संपत्ति जप्त करने के लिये सफेमा अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

सफेमा एक्ट के अंतर्गत 7 तस्करों की 24.95 करोड़ रूपये की अचल संपत्ति और 73.80 लाख रूपए की चल संपत्ति जप्त करने का प्रकरण सफेमा कोर्ट भेजा गया, जिसमें से 12.40 करोड़ रूपए रूपये की अचल संपत्ति और 12.30 लाख रूपये की चल संपत्ति फ्रीज कर दी गई है और शेष प्रकरणों में सुनवाई जारी है।

मंदसौर में जांच और कार्यवाही के दौरान 4 करोड़ रूपयें की स्मैक जप्त की गई है। पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यवाही में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई जिसमें 3000 लीटर स्प्रिट, 30 हजार बॉटल्स, 6000 होलोग्राम, 10000 रैपर, यूरिया, पोटास आदि जप्त किए गए। इससे 15 से 20 हजार पेटी नकली शराब बनाई जा सकती थी।

===

आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में 1 लाख 12 हजार 994 शस्त्र थानों में जमा

भोपाल : सोमवार, 15 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, 2018 तक कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये 1 लाख 12 हजार 994 शस्त्र थानों में जमा करवाये गये और 601 अवैध हथियार जप्त किये गये है। 8 हजार 714 गैर जमानती वारंट तामील कराये गये है। 18 हजार 336 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 14 अक्टूबर तक 6 लाख 30 हजार 92 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। इनमें से शासकीय सम्पत्ति विरूपण में 5 लाख 2 हजार 903 प्रकरण और निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 1 लाख 27 हजार 189 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। पंजीबद्ध प्रकरणों में शासकीय संपत्ति के 4 लाख 85 हजार 552 प्रकरणों में तथा निजी संपत्ति के 1 लाख 10 हजार 934 प्रकरणों में इस तरह कुल 5 लाख 96 हजार 486 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी। वाहनों के दुरूपयोग पर 2 हजार 66 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

===

विधानसभा आम चुनाव -2018

मतदाता पर्चियों का अनाधिकृत वितरण और कब्जे में पाये जाने पर दण्डनीय कार्यवाही होगी - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भोपाल : सोमवार, 15 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही. एल. कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को नामांकन के समय शपथ-पत्र पूर्ण रूप से भरकर जमा कराना होगा और इस शपथ-पत्र को तीन बार प्रिन्ट मीडिया और तीन बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी करना होगा। इस शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है और यदि किसी प्रकरण में सजा मिल चुकी है तो इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख शपथ पत्र में करना होगा।

आयोग के निर्देशानुसार मतदान के 5 दिन पूर्व मतदाता पर्ची का वितरण पूर्ण हो जाएगा। इस बार मतदाता पर्ची में मतदान केन्द्र पहुँचने का नक्शा भी उपलब्ध रहेगा। पर्ची वितरण के समय बीएलओ मतदाता

पर्ची की मतदाताओं से पावती प्राप्त करेगा। ऐसे मतदाता जिनको मतदाता पर्ची का वितरण नहीं हो पाया उनकी सूची पीठासीन अधिकारी अपने पास रखेगा । फोटो मतदाता पर्ची किसी अनाधिकृत व्यक्ति के पास पाये जाने या वितरण किये जाने पर लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार उल्लघंन माना जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होगी।

श्री कान्ता राव ने बताया एमसीएमसी को विज्ञापन के प्रमाणन के लिये प्राप्त आवेदनों में से 25 को अनुमति प्रदान की गई है और 10 आवेदनों के संबंध में संबंधित राजनैतिक दलों को पत्र प्रेषित किया गया है।

==

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
mpinfo.org | dprmp.org | mpnewsarch.org
Follow us: /jansampark.madhyapradesh @jansamparkMP jansamparkMP